



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

1-ए/आई०एन०एस०-1 आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Baudha Vihar, Delhi Road, Moradabad

सन्दर्भ : 4.0.56 / N-13 / O.A. 855 / 371 / 2019

दिनांक : 28/11/19

Through E-Filing

To,

The Registrar General,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Principal Bench, New Delhi.

**Subject: Regarding filing of Compliance and Action Taken Report before Hon'ble NGT passed an order Dated-30.10.2019 in OA NO-855/2019 Love Kumar Gupta Vs State of U.P.**

Sir,

With reference to above mentioned subject, please find enclosed herewith Compliance and Action Taken Report along with Annexure containing total number of pages-03.

Enclosures: 1- Compliance and Action Take Report.  
2-Letter For Constitution of Committee.  
3-The Report dated-27.11.19 of Joint Committee.

Yours Sincerely

(Ajay Sharma)  
Regional Officer

Copy To:-

- 1- District Magistrate, Moradabad.
- 2- Shri Pradeep Mishra, Advocate for U.P. Pollution Control Board.
- 3- CEO-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
- 4- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

**Compliance Report in the matter of O.A.NO.855/2019-Lav Kumar Gupta Vs State of Uttar Pradesh**

Hon'ble NGT New Delhi passed an order on 30-10-19 in the matter of O.A.NO.855/2019-Lav Kumar Gupta Vs State of Uttar Pradesh:-

*"..... Let the District Magistrate, Moradabad and U.P. State Pollution Control Board (State PCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in .The state PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. ...."*


**COMPLIANCE AND ACTION TAKEN :-**


In reference to the application regarding illegal operation of e-waste kilns in the streets and open places on the road from Moradabad to Lalbagh near Rani Kishori, U.P. the following actions has been taken:

1. A committee was constituted comprising City Magistrate, Circle Office-Police, Assistant Environmental Engineer- U.P. Pollution Control Board and Executive Engineer-U.P. Power Corporation Ltd. , for the joint survey of the said area and if needed for taking the action against illegal E-Waste processing units. Letter for constitution of committee is **annexed as Annexure-01**
2. The joint committee conducted the survey of the said area on 27-11-2019 and submitted a report dated 27-11-2019. (**Annexed as Annexure-02**)
3. According to the report of the joint committee, no E-Waste processing unit was found operating in the said area of Lalbagh and adjoining areas in Moradabad city.

**CONCLUSION:**

At present there are no legal/illegal E-Waste processing units in the said localities in Moradabad, Uttar Pradesh.

  
(Ajay Sharma)  
Regional Officer  
U.P. Pollution Control Board  
Moradabad

  
( Rakesh Kumar Singh)  
District Magistrate  
Moradabad

## कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद

पत्र संख्या: .....

4027/E-8/जनक  
आदेश

दिनांक .....

22/11/19

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 855/2019 लव कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0शासन में दिनांक 30.10.2019 को आदेश पारित किये गये हैं (छायाप्रति संलग्न), जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं -

“... Let the District Magistrate, Moradabad and U.P. State Pollution Control Board (State PCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at [judicial.ngt@gov.in](mailto:judicial.ngt@gov.in). The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

..... needless to say that order of National Green Tribunal is binding as a decree of Court and non-compliance is actionable by way of punitive action including prosecution, in terms of the National Green Tribunal Act, 2010.”

उक्त ओरीजिनल एप्लीकेशन मुरादाबाद में मोहल्ला लालबाग, (रानी किशोरी के पास बगिया) व उसके आसपास गलियों में संचालित हो रही ई-कचरा जलाने की अवैध भट्टियों के संचालन से जनित वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में योजित की गयी है। उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु अगली तिथि 14.02.2020 नियत है।

पूर्व में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा पत्रांक बी-29016/1(ई-वेस्ट)/एच डब्ल्यू एम डी 419 दिनांक 26.04.2016 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित ई-वेस्ट प्रसंस्करण इकाइयों को तत्काल बन्द कराया जाय।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त स्थल पर ई-कचरा जलाने वाली अवैध भट्टियों/इकाइयों के निरीक्षण कर दोषी इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है -

1. नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस/सम्बन्धित थानाध्यक्ष, मुरादाबाद।
3. सहा0पर्या0अभियन्ता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लि0, खण्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), मुरादाबाद द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी।

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दोषी इकाइयों का निरीक्षण करते हुए निरीक्षण आख्या एवं कृत कार्यवाही की सूचना 07 दिवस में प्रस्तुत की जाये, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ससमय आख्या प्रेषित की जा सके।

(राकेश कुमार सिंह)  
जिलाधिकारी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित -

1. नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस/सम्बन्धित थानाध्यक्ष, मुरादाबाद।
3. सहा0पर्या0अभियन्ता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लि0, खण्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), मुरादाबाद।

जिलाधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 855/2019 लव कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0शासन में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में स्थलीय जाँच आख्या -

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 855/2019 लव कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0शासन में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं -

“... Let the District Magistrate, Moradabad and U.P. State Pollution Control Board (State PCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at [judicial.ngt@gov.in](mailto:judicial.ngt@gov.in). The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

उक्त ओरीजिनल एप्लीकेशन मुरादाबाद में मोहल्ला लालबाग, (रानी किशोरी के पास बगिया) व उसके आसपास गलियों में संचालित हो रहीं ई-कचरा जलाने की अवैध भट्टियों के संचालन से जनित वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में योजित की गयी है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्र संख्या 4027/ई-8/जनरल दिनांक 22.11.2019 के द्वारा उक्त स्थल पर ई-कचरा जलाने वाली अवैध भट्टियों/इकाईयों का निरीक्षण कर, दोषी इकाईयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी थी -

1. नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस/सम्बन्धित थानाध्यक्ष, मुरादाबाद।
3. सहा0पर्या0अभियन्ता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लि0, खण्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), मुरादाबाद द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी।


उपरोक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा आज दिनांक 27.11.2019 को संदर्भित क्षेत्र का सघन निरीक्षण/सर्चिंग का कार्य किया गया। निरीक्षण/सर्वेक्षण में मोहल्ला लालबाग (रानी किशोरी के पास बगिया) व उसके आसपास की गलियों में ई-कचरा जलाये जाने वाली कोई इकाई संचालित नहीं पायी गयी।

उपरोक्तानुसार आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
अधिशासी अभियन्ता  
उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन  
लि0  
मुरादाबाद द्वारा नामित  
प्रतिनिधि

  
सहा0पर्या0अभियन्ता,  
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मुरादाबाद

  
क्षेत्राधिकारी पुलिस/  
संबन्धित थानाध्यक्ष  
मुरादाबाद

  
नगर मजिस्ट्रेट,  
मुरादाबाद

  
27.11.19  
Regional Officer,  
UP PCB, Moradabad.

C.S.  
  
27/11/19  
DM.